समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के निर्बल वर्गो तथा अनु0जाति/जनजाति, निराश्रित, वृद्ध, अशक्त दुर्बल एवं निःसहाय लोगो के समग्र उत्थान के लिये समाज कल्याण विभाग कृतसंकल्पित है। समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के कारण अति पिछड़ लोगो को यथोचित सम्मान एवं स्थान प्रदान करने के लिए, आर्थिक समानता, शैक्षिक उत्थान एवं सामाजिक स्तर पर एक रूपता लानें हेतु विभिन्न योजनाए संचालित हैः–

1. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से संचालित शैक्षिक उत्थान के कार्यक्रम।
2. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वितरण योजना।
3. गरीबी की रेखा के नीचें जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना।
4. वृद्धावस्था पेंशन योजना।
5. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
6. अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता।
7. अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता।
8. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयो का संचालन।
9. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन।
10.परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।
11. प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।
12. अनुसूचित जाति के छात्रों को तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रों का संचालन।
13.वृद्धा एवं अशक्त गृहों का संचालन।
14.राजकीय भिछुक गृहों का संचालन।
15.भारत सरकार की सहायता से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित योजनायें।
16.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक योजना के तहत पेंशन योजना।

1. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से संचालित शैक्षिक उत्थान के कार्यक्रमः–

उत्तर प्रदेश में 66 जातियों को अनुसूचित जाति, 37 जातियों को विमुक्ति जाति तथा सामान्य श्रेणी के वर्गो को भारत सकरार के आदेश अधिनियम 1976 के अनुसार शैक्षिक समानता दूर करनें के उद्देश्य से छात्रबृत्ति वितरण राजकीय छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन, राजकीय

आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन एवं कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित कियें जाते है।

2. <u>अनुसचित जाति छात्रवृत्ति वितरण योजनाः–</u> इस योजनान्तर्गत कक्षा 01 से उच्चतम कक्षाओं में अध्यनरत अनु.जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रबृत्ति की सुविधा निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाती हैं। (1) कक्षा 01 से 05 तक रू0 25/– प्रतिमाह (2) कक्षा 06 से 08 तक रू० 40/– प्रतिमाह (3) कक्षा 09 से 10 तक रू० 60/– प्रतिमाह। पूर्वदशम में अध्ययनरत अनु0जाति एवं सामान्य वर्ग के लिए छात्रों के अभिवावकों की वार्षिक आय 30000.00 रू0 से कम है। उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। पूर्वदशम् कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति ग्राम पंचायत के ग्रामनिधि तृतीय के खातों में तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के खातों में धनराशि अन्तरित की जाती है। दशमोत्तर एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं/पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति निम्न विवरण के अनुसार सुविधा प्रदान की जाती है।

समूह	छात्रावासीय दर (रू०)	दिवा छात्र दर (रू०)
समूह–1– मेडिकल, इन्जीनियरिंग एवं डिग्री स्तर	1200.00	550.00
समूह–2– व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठयक्रम डिप्लोमा स्तर	820.00	530.00
समूह–3– स्नातक स्तर	570.00	300.00
समूह–4– ग्रेज्युएशन करने के पूर्व सभी दशमोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	380.00	230.00

दशमोत्तर एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के अभिवावकों की वार्षिक आय 200000.00 रू तक है को छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य की जाती है। इसकें अतिरिक्त दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रों से ली जानें वाली अनुमन्य फीस की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था को दी जाती है।

<u>3. गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करने वालें सामान्य वर्ग के परिवारों के छात्रों की छात्रबृत्ति योजनाः–</u> प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करनें वाले अभिवावकों जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रू0 19884.00 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं रू0 25546.00 शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को कक्षा 01 से 10 तक अनुसूचित जाति की भाति निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति

प्रदान की जाती हैं। दशमोत्तर कक्षाओं में गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करनें वाले सामान्य जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 100000.00 तक है को अनुसूचित जाति की भाति श्रेणीवार छात्रबृत्ति की सुविधा एवं फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की धनराशि दशमोत्तर कक्षाओं मे छात्रों के खातों में तथा कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति ग्राम पंचायत के ग्रामनिधि तृतीय के खातों में तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के खातों में सम्बन्धित बैंकों के माध्यम से अन्तरित की जाती है।

4. वृद्धावस्था/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनः– 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्धन निराश्रित वृद्धजनों को रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2008–09 से बी0पी0एल0 सर्वे सूची वर्ष 2002 में अंकित परिवारों के 60 वर्ष के अधिक आयु के समस्त वृद्धजनों को पेंशन सुविधा प्रदान कियें जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस योजना के आवेदन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध रहतें है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का यह दायित्व है कि पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भरवाकर ग्राम पंचायत से स्वीकृत कर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे। आवेदन पत्र स्वीकृत किए जाने के अगलें माह से वृद्धापेंशन देयता हो जाती है।

5. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः– गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर पीडित परिवार को रू0 20000.00 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। गरीबी रेखा के अन्तर्गत परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू० 19884.00 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546.00 से अधिक न हो। मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 64 वर्ष से कम होनी चाहिए। मृतक परिवार का कमाऊ सदस्य होना चाहिए तथा मृत्यु की तिथि के 01 वर्ष के अन्दर पारिवारिक लाभ के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करनें हेतु आवेदन पत्र जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी अथवा समाज कल्याण विभाग कार्यालय में दिया जाना चाहिए।

6. अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा के नीचें जीवन यापन करनें वाले व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी एवं उनके परिवार के परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायताः– अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के निर्धन व्यक्तिओं को जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू० 19884.00 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25546.00 से अधिक न हो के व्यक्तिओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु रू0 10000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु बधु की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं विवाह की तिथि निर्धारित होनी

चाहिए। निर्धन व्यक्तियों को गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रू0 5000.00 की आर्थिक सहायता अनुमन्य है। आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा देय मान्य होंगे।

7. अत्याचारों से उत्पीडित अनुसूचित जाति के परिवारों को अर्थिक सहायताः– गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता जिलाधिकारी द्वारा घटना होने के तत्काल बाद प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी को उक्त धनराशि आवंटन उपलब्ध न होने की दशा में टी0आर0–27 के अन्तर्गत आहरित कर भुगतान करने के शासन द्वारा निर्देश है। कमाने वाले व्यक्ति की हत्या अथवा स्थायी अपंगता में रू० 200000.00, न कमाने वाले व्यक्ति की स्थिति में रू0 100000.00 बलात्कार के मामलें में रू० 50000.00 तथा अन्य मामलों घटना की प्रकृति के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

8. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन – अनुसूचित जाति तथा विमुक्ति जाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहें है। वर्तमान में जनपद के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय हेतिमपुर चकिया में संचालित है। विकास खण्ड नौगढ़ में एक विद्यालय निर्माणाधीन है। विद्यालय में आवासीय छात्रों को निःशुल्क आवास भरण पोषण वस्त्र एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है।

9. राजकीय अनुसूचित जाति के छात्रावासों का संचालन– अपने निवास स्थान से दूर रह कर अध्ययन करने वाले अनुसचित जाति के छात्रों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए विभागीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद के अन्तर्गत कुल 03 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास संचालित है। राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास सकलडीहा, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास मांटीगांव, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास चहनियां में स्थित है। इन छात्रावासों में निःशुल्क आवास एवं लाईब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाती है।

10. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालनः– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से 3 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जो निम्नलिखित है–

1. छत्रपति शाहूजी महराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
2. आर्दश पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगंज, लखनऊ।(महिला अभ्यर्थियों हेतु)
3. सिविल न्यायिक पूर्व परीक्षण केन्द्र, इलाहाबाद ।

आगामी वर्ष से जनपद आगरा,अलीगढ़ एवं वाराणसी में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशुल्क आवास, भरण पोषण एवं लाईब्ररी व उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है।

<u>11. प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन–</u> अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा पूर्व परीक्षा आई.ए.एस./पी.सी.एस. तथा व्यवसायिक कोर्सो में निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।

12. अनुसूचित जाति के छात्रों को तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रो का संचालनः– विभाग द्वारा अनुसुचित के छात्रों को तकनीकी/व्यवसायिक प्रशीक्षण देने हेतु निम्न केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है–

1. गोविन्द बल्लभ पंन्त पालिटेक्निक, मोहान रोड लखनऊ।
2. औद्योगिक संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाल डिग्गी गोरखपुर ।

इन संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क आवास, एवं छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान की जाती है।

<u>13. वृद्ध एवं अशक्त गृहों का संचालनः–</u> इस योनान्तर्गत प्रदेश में पुरूषों हेतु लखनऊ जनपद में तथा महिलाओं हेतु वाराणसी जनपद में 50–50 वृद्धों की क्षमता वाले एक–एक निराश्रित वृद्ध अशक्त गृह संचालित है। जिसमें संवासियों को निः शुल्क आवास व भोजन आदि की सुविधा सुलभ करायी जाती है।

<u>14. राजकीय भिक्षुक गृहो का संचालनः–</u> राजकीय भिक्षुक गृहो का संचालन भिक्षावृत्ति जैसे सामाजिक कुरीति को प्रतिबन्धित करने हेतु वर्ष 1975 से भिक्षावृत्ति (प्रतिषेध) अधिनियम अस्तित्व में आया । इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन, तीर्थ स्थलों एवं महत्वपूर्ण शहरों में भिक्षुक गृह संचालित किये जा रहे है। प्रदेश के जनपद वाारणसी, मथुरा, आगरा, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर में पुरूषो हेतु तथा फैजाबाद में महिलाओं हेतु, गृह संचालित है।

<u>15. भारत सरकार के सहायता से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित योजनायेंः–</u> निराश्रित अशक्त वृद्धों के रखरखाव हेतु वृद्ध आश्रम की स्थापना दिवस देख–भाल केन्द्र तथा मोबाईल मेडिकेयर, यूनिट की स्थापना हेतु भारत सरकार से 90 प्रतिशत सहायता वृद्ध गृहों निर्माण हेतु भी 90 प्रतिशत सहायता स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति के वेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टी.वी. रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, आशु लिपिक टंकण प्रशिक्षण अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। उक्त समस्त योजनाओं में कर्मचारियों के वेतन, भवन किराया, संवासियों का भरण–पोषण, संवासियों का स्टाइपेण्ड, साज सज्जा एवं उपकरण के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

16. उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीग आर्थिक मद्द योजना– उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना का प्रारम्भ दिनांक– 15.01.2010 से किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को 300.00 रूपया प्रति माह अनुदान/पेंशन दिये जाने का प्राविधान है–

योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित को योजना से बाहर रखने की व्यवस्था है–

- बी.पी.एल. तथा अन्त्योदय कार्ड धारक वाले परिवार
- वृद्धावस्था पेंशन पाने वाला परिवार
- विधवा पेंशन पाने वाला परिवार
- विकलांग पेंशन पाने वाला परिवार

उकत के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र न मानते हुए प्रारम्भिक सूचना/सर्वेक्षण के आधार पर बाहर रखा जायेगा।

- ऐसे परिवार जिनके पास सीमान्त कृषक से ज्यादा भूमि उपलब्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर होगी एवं इससे अधिक भूमि रखने वाले कृषक को अपात्र होगें।
- ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन जैसे जीप,कार, थ्री–व्हीलर अथा स्कटूर/मोटर साइकिल है।
- ऐसे परिवार जिसके पास कम से कम एक मशिनीकृत कृषि उपकरण जैसे – ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर या हार्वेस्टर हो।
- ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी/एन.जी.ओ./नीजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो।
- ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता न हों।

स्कोर के आधार पर सर्वे का विवरण

1 <u>परिवारों में भूमि की उपलब्धता</u>

- (i) शून्य भूमि–5 अंक
- (ii) 1.0 हेक्टेयर असिंचित भूमि अथवा 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि से कम –04 अंक
- (iii) 1.0 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.0 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि अथवा 0.5 से 1.0 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि–3 अंक

2 <u>घर का प्रकार</u>

- (i) फूस की छत का कच्चा कमान –05 अंक
- (ii) खपरैल का कच्चा मकान–04 अंक
- (iii) अर्ध पक्का एवं शासकीय योजनान्तर्गत आवंटित मकान –03 अंक
- (iv) पक्का मकान–02 अंक
- (v) नगरीय टाइप–01 अंक

शासकीय योजना का तात्पर्य इन्दिरा आवास योजना, महामाया ग्रामीण आवास योजना तथा मान्यवर काशी राम जी शहरी गरीब आवास योजना से होगा।

3 <u>घरेलू श्रमिको की स्थिति</u>

- (i) बधुआ मजदूरी–05 अंक
- (ii) महिला एवं बाल श्रमिक –04 अंक
- (iii) मात्र व्यस्क महिला श्रमिक तथा कोई बाल श्रमिक नहीं – 03 अंक
- (iv) केवल व्यस्क पुरूष एवं व्यस्क महिला–02 अंक
- (v) केवल वयस्क–01

4 <u>जीविका का साधन</u>

- (i) दैनिक श्रमिक––05 अंक
- (ii) खोती–04 अंक
- (iii) शिल्पकार–03 अंक
- (iv) वेतन–02 अंक
- (v) अन्य जैसे दुकान व्यवसाय आदि –01 अंक

<u>नोटः–</u>

1 यदि परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तो 03 अंक तथा विमुक्ति जाति का 02 अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 01 अंक अतिरिक्त दिया जायेगा।

2 यदि परिवार में किसी व्यक्ति को क्षय रोग,कुष्ट रोग, विकलांगता अथवामानसिक बीमारी या एच.आई.बी. पाजिटीव (एड्स) है तो ऐसे परिवार को अतिरिक्त 02 प्वाइंट दिया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र मान्य ।

सर्वेक्षित परिवारों की सूची तैयार करने एवं आवेदन पत्र स्वीकृत करने का अधिकार राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारियों में निहीत है। ऐसे व्यक्तियों को उनके द्वारा खोले गये बैकों के खातो में पेंशन की धनराशि विभाग द्वारा प्रेषित की जाती है।